प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक: 25 नवम्बर,2020

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन में पुनर्विनियोग के संबंध में।
(अनुदान सं0-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 553/वित्त सम्भाग-3/बजट/ पुनर्विनियोग /20-21, दिनांक 06 नवम्बर, 2020 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु लेखाशीर्षक "2404- डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएँ के मद 15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद मद हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल रू0 5,00,000.00(रू0 पॉच लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि का आहरण यथाआवश्यकता ही किया जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24मार्च, 2020 में दिये गये निर्देशों/ प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को तुरन्त दी जाये।
(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
(5) ऑकड़ो की शुद्धता का दायित्व आप का होगा।
(6) पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय निर्धारित मद में कराया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक " 2404- डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएँ के मद 15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार अनुदान संख्या-16 के लेखाशीर्षक " 2404- डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन 03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनाएँ" के मद 09-विदयुत देय, 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान व 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

..... 2

1- **यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

संख्या-17/ 1010(1) /53-2-2020-10बजट/17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0 प्र0, प्रयागराज, (□लाहाबाद)।
2- निदेशक, वित्तीय साख्यिकीय परियोजना, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला विकास विभाग।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वेबमास्टर दग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनड को □स आशय से प्रेषित कि □से विभागीय वेबसा□ट पर प्रदर्शित करें।
8- गार्डफा□ल।

आज्ञा से,

(**बिन्द गोपाल द्विवेदी**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**